



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 187 राँची, मंगलवार,

22 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

26 मार्च, 2025

संख्या-5/आरोप-1-76/2019-29758 (HRMS)--श्रीमती साधना जयपुरियार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-26/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध मनिका प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत जेट्रोफा वृक्षारोपण में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप में मनिका थाना कांड सं०-76/2010 दर्ज की गई है। संबंधित मामले में इनके विरुद्ध विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-152/जे०, दिनांक 16.10.2019 द्वारा अभियोजन स्वीकृति निर्गत की गई तथा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र सं०-56/13 समर्पित की गई ।

2. उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1053/विधि, दिनांक 02.08.2024 द्वारा जी०आर० नं०-616, मनिका थाना कांड सं०-76/2010 में माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 30.05.2024 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गई। उक्त न्यायादेश में माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा श्रीमती जयपुरियार को दोषी पाते हुए 03 (तीन) वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- (पचास हजार रुपये) जुर्माना की सजा सुनाई गई ।

3. माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा श्रीमती जयपुरियार को दण्डित किये जाने के आलोक में इनको निलंबित करने एवं सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर कारण पृच्छा पूछने पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-27481(HRMS), दिनांक 26.09.2024 द्वारा श्रीमती जयपुरियार को दिनांक 30.05.2024 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है तथा विभागीय पत्रांक-6287, दिनांक 26.09.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त किये जाने के दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु इनसे कारण पृच्छा की माँग की गई।

4. उक्त के अनुपालन में श्रीमती जयपुरियार के पत्रांक-कैम्प 01, दिनांक 07.10.2024 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

5. श्रीमती जयपुरियार से प्राप्त कारण पृच्छा जवाब की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत इनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यता या सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-7556, दिनांक 18.11.2024 एवं स्मार पत्रों द्वारा उक्त दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई।

6. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-457, दिनांक 12.03.2025 द्वारा उक्त दण्ड अधिरोपण पर सहमति प्रदान की गयी है।

7. तत्पश्चात् दिनांक 25.03.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्रीमती जयपुरियार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यता या सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने संबंधित प्रस्ताव मद सं०-09 के रूप में सम्मिलित किया गया एवं स्वीकृत किया गया है।

अतः श्रीमती साधना जयपुरियार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-26/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार, सम्प्रति- निलंबित के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यता या सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती साधना जयपुरियार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SADHANA JAIPURIAR 20060400060	श्रीमती साधना जयपुरियार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-26/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यता या सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: PTS/VET/646
